अज अदालत – संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

अपील सं. 94/2022 अंतर्गत धारा–76 एल.आर.एक्ट

GCMS No. -

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर
2. इन्द्रपाल पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर।

अपीलांट्स

–बनाम–

1. रामनारायण पुत्र सावंतराम जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर
2. पवन कुमार पुत्र मदन लाल जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्ट्स

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.07.2022	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट श्री सत्यपाल सिंह शेखावत उपस्थित। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। यह अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 16.06.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई। प्रथमतः पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री करण सिंह जरिये कैवियट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री आशु शर्मा जरिये वकालतनामा उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई। कैवियट कर्ता द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपतियों को खारिज किया जाता है। अपील अपीलांट में उपलब्ध दस्तावेज एवं उभय की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। हम अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 16.06.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। साथ ही तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सभी पक्षों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नंबर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ. नीरज के. पवन) संभागीय आयुक्त, बीकानेर	